न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 15/2020 दायरा दिनांक : 14.02.2020

उनवान

1– मनोरमा सुमन पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– कमलेश माता सरदार बाई, जाति माली, निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– छीती बाई पत्नी मांगीलाल, जाति तंवर, निवासी शोलाल का पुरा मजरा मदनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 06.04.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 123/राजस्व दावा/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू [illegible]
पदेन राज[illegible]
कोटा [illegible]

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध पत्र संग्रहसार के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांटगण को सुने बगैर साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई जिसकी सूचना भी अपीलांट को विधिवत रूप से नहीं दी गई तथा एक पक्षीय कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.12.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया एवं एक पक्षीय निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया हमारी कोई सहमति नहीं ली है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन पर पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं । शिविर में इन्होंने प्रार्थना पत्र भी दिया था रेवेन्यु बोर्ड में निर्णय बाबत । अधीनस्थ न्यायालय ने जो खाते में दर्ज है वही हिस्सा दिया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है । अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

([illegible])
भू-[illegible]

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि प्रतिवादीगण अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया है । अपीलांट प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है । पत्रावली में सलंग्न सम्मन अपीलांट प्रतिवादीगण को प्राप्त होना पाया जाता है । सम्मन की तामील विधिवत रूप से हुई है । अतः अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा सम्मन की प्रोपर तामील नहीं होने से यह न्यायालय सहमत नहीं है । प्रकरण में मुताबिक जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन करने का आदेश जारी किया गया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– मनोरमा सुमन पत्नी प्रभूलाल, जाति माली, निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ 2– कमलेश माता सरदार बाई, जाति माली, निवासी चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ .... **अपीलांट**	**बनाम**	1– छीती बाई पत्नी मांगीलाल, जाति तंवर, निवासी शोलाल का पुरा मजरा मदनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 15/2020 एवं
मु.द.नं0 123/राजस्व दावा/2017

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
निर्णय व डिकी दिनांक – 23.07.2019

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री अमरसिंह लववंशी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री श्याम सुन्दर शर्मा।।** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 23.07.2019 यथावत रखा जाता है ।
बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **04** सन् **2021** को जारी किया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)

मोहर